

87/2021

धारा- 88, 89, 188 P.T.A.

दिनांक आज
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक विवरण

कैम्प मानगढ़ (बिलासपुर)
+ डा. पेश की

18/11/2021

18/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही
नहीं की जा सकी। पत्रावली में कोई
विवाद पारित नहीं होने से
अधिक कार्यवाही हेतु पत्रावली
दिनांक 13/11/22 को
पेश हो।

13/11/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा लीने / अन्य
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
09/11/22 को पेश हो।

2/12/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा लीने / अन्य
कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
16/12/22 को पेश हो।

16/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
प्रकारानुसार उपस्थित। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक
17/2/22 को पेश हो।

17/2/22

पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं
वकील वादी उपस्थित। वादी एवं वकील वादी
के द्वारा प्रार्थना पत्र वाया विद्वा (कैम्प) पत्र
वादी का पेश कर श्रीमालाम धजा से
निवेदन किया कि वादी के द्वारा वस वादी का
वाया धौषणा उदरपी इन्साजात (धारा) निवेदन

जम्बू कुमार

Tr. d.
(Signature)


उप खण्ड अधिकारी
बरसात (जिला जयपुर)

कम संख्या
दिनांक अथवा कार्यवाही

अज्ञ विवरण स्वतः

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान
भाइतकारी अधिनियम 1955 के माध्यम
से प्राप्त गया अनुसूचित जाति की प्रांतीय
पाकता 136 आर.टी.एक्ट प्रकार का संख्या
82A/21 उलवान जम्बू अनाम राजस्थान
सरकार के निर्णय दिनांक 16/2/2022 से
प्राप्त है चुकाई आ। वादी अब इस वाद
पर को अगे नही चलाना चाहता है। वादी
के द्वारा इस अधिनियम का शपथ पर भी पेश किया
व सहमति स्वरूप न्यायालय द्वारा को अवेरि
पर एल्टासर क्रिये गये जैसे वादी के पकीस
श्री विनोद कुमार शर्मा के द्वारा एल्टासर पर
प्रमाणित किया गया। उपरोक्त विवेचन के
आधार पर वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रांतीय
वाक्यत विज्ञापन को न्यायसहित में
किया जाता है एवं वादी का वाद जरूर विद्व
परिष्ण किया जाता है।

प्रावली जैसल शर्मा के पर पत्र नम्बर
से कम होने पर परखिल प्रजतर्ता।
निर्णय आज दिनांक 17/2/2022 को सुले
न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया।


उप मुख्य अधिकारी
बरेली (जिला जयपुर)